

न्यायालय नायब तहसीलदार उप तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनू


मु0 नं0	दायर दिनांक	अ0धा0	निर्णय दिनांक
58 / 2021	02.08.2021	91 एल.आर.एक्ट	22.09.2021

सरकार बनाम रामनिवास पुत्र लादूराम जाति माली निवासी पौख  
22.09.2021 पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण संक्षिप्त में निम्न प्रकार से है कि पटवारी हल्का गुढागौड़जी द्वारा संवत 2078 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि मौजा ग्राम गुढागौड़जी पटवार हल्का गुढागौड़जी के भूमि खसरा नं0 2050 रकबा 2.02 है0 किस्म बंजड़ डोल के 0.80 है0 रकबे पर रामनिवास पुत्र लादूराम जाति माली निवासी पौख ने बाजरा एवं गवार फसल काशत कर अतिक्रमण किया है। रिपोर्ट पटवारी हल्का गुढागौड़जी के आधार पर प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अ0 धा0 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब नोटिस प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली रखा गया। अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमित रकबे के कब्जे के सम्बन्ध में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं।

रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा मौजा ग्राम गुढागौड़जी पटवार हल्का गुढागौड़जी के भूमि खसरा नं0 2050 रकबा 2.02 है0 किस्म बंजड़ डोल के 0.80 है0 रकबे पर किया गया अतिक्रमण अवैध होने के कारण अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। पटवारी हल्का गुढागौड़जी एवं भू0अ0नि0 गुढागौड़जी को इस अवैध अतिक्रमित भूमि पर से अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल एवं अतिक्रमित रकबे पर खड़ी फसल को को कुर्क कर फर्द कुर्की /निलामी एवं रिपोर्ट बेदखली पेश करने हेतु लिखा जावे।

अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिए जाने के दण्ड स्वरूप लगान 3.95 का 50 गुणा तावान की कुल राशि 198/- रु मात्र बतौर शास्ती जुर्माना आरोपित किये जाते हैं। पटवारी हल्का एवं तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा दिनांक 22.09.2021 को सुनाया गया।



नायब तहसीलदार  
उप तहसीलदार  
उप तहसील गुढागौड़जी

